<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 141/2017 **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति मीना निवासी खुरी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 27/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 91, 92 ए, आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम व माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 117 की ख0नं0 42 रकबा 4 बीघा, ख0न0 46 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 88 की 4 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 98 रकबा 1 बीघा 14 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 107 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा है0, ख0नं0 109 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 163 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ,ख0नं0 277 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 349 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वाा, ख0नं0 359 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा है0, ख0नं0 542 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 548 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 551 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 557 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा , ख0नं0 596 रकबा 27 बीघा, ख0नं0 633 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 635 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, ख0[illegible] रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 18 रकबा 173 बीघा 7 बिस्वा आराजी [illegible] 1/2 व कान्ही बेवा बजरंगा हिस्सा 1/2 खाते दर्ज थी। नकल जमाबंदी संवत 2028 से 2031 वाद पत्र के साथ [illegible] है। जो काबिल गौर है। पुष्पाबाई व कान्ही बाई के फोत हो जाने के बाद इन्तकाल नं0 119 दिनांक 28.05.1967 से पुष्पाबाई का नाम व इन्तकाल नं0 160 दिनांक 17.02.1972 से कान्ही बाई का नाम खाते खारिज सम्पूर्ण आराजी वादी के खाते दर्ज कर दी गई। नकल इन्तकाल वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

काबिल गौर हैं। वादी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिसके निर्णय के आधार पर वादी के खाते की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से ख0नं0 42 रकबा 4 बीघा, ख0न0 46 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 88 की 4 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 98 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 107 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा है0, ख0नं0 109 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 163 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा , ख0नं0 548 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 542 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 557 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा , ख0नं0 551 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 633 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 596 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 13 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा आराजी सिलिंग में अधिग्रहण कर खाता राज सरकार सिवायचक इन्तकाल नं. 248 दिनांक 24.05.1977 से दर्ज कर दी गई। इन्तकाल नं. 248 दिनांक 248 दिनांक 24.05.1977 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर है। विभिन्न न्यायालयों में सिलिंग एक्ट के अधीन प्रकरण लम्बित रहने के दोरान सेटलमेन्ट आ गया जिसमें सिलिंग एक्ट में अधिग्रहण शुदा आराजी के पुराने खसरा नम्बरों एवं रकबा के नये ख0 नं0 एवं रकबा निम्न प्रकार बना कर खाता राज सरकार व वादी के खाते दर्ज कर दिये गये थें।

खाता राजस्थान सरकार प्रतिवादी

पुराने		नये	
ख0नं0	**रकबा बीघा में**	**ख0नं0**	**रकबा है0 में**
42	4 बीघा	52	0.52 है0
46 व 98	4 बीघा 7 बिस्वा व 1 बीघा 14 बिस्वा	133	1.10 है0
88	4 बीघा 1 बिस्वा	154	0.60 है0
107	2 बीघा 9 बिस्वा	148	0.31 है0
109	5 बीघा 4 बिस्वा	165	0.77 है0
163	4 बीघा 5 बिस्वा	240	0.70 है0
548	15 बीघा 12 बिस्वा	362	2.32 है0
542	2 बीघा 16 बिस्वा	370	0.45 है0
551	11 बीघा 2 बिस्वा	326	1.79 है0
557 मिन	1 बीघा 14 बिस्वा	321/1453	0.33 है0
633	7 बीघा 3 बिस्वा	328	1.12 है0
596 मिन	2 बीघा 5 बिस्वा	301/1456	0.42 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

किता 13 कुल रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा किता 12 रकबा 10.43 है0

तथा खाता वादी पुरानी व वर्तमान जमाबंदी के अनुसार

पुराने		**नये**	
ख0नं0	**रकबा बीघा में**	**ख0नं0**	**रकबा है0 में**
277	47 बीघा 11 बिस्वा	860	3.01 है0
		868	4.67 है0
349	1 बीघा 10 बिस्वा	918	0.24 है0
359	2 बीघा 11 बिस्वा	866	0.43 है0
596 मिन	24 बीघा 15 बिस्वा	301	3.55 है0
635	11 बीघा 7 बिस्वा	357	2.23 है0
642	1 बीघा 11 बिस्वा		-
किता 6 कुल रकबा 89 बीघा 5 बिस्वा		किता 6	रकबा 14.13 है0 .

.

इस में से वादी ने ख0 नं0 557 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा दोरान सेंटलमेन्ट एवं कार्यवाही न्यायालय बेचान करदी थी जो वर्तमान में वादी के खाते में नहीं होकर केता के ,खाते राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुकी है। माननीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा माननीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर वादी के खाते की अधिग्रहण शुदा वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी को पुनः वादी के खाते दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.1988 को तहसीलदार अटरू को प्रदान किया गया था। आदेश व निर्णय दिनांक 26.05.1988 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय के आदे[illegible] 26.05.1988 के अनुसार प्रतिवादी ने इन्तकाल नं. 143 दिनांक (अपठित है) से ख0नं0 11[illegible] रकबा 1.10 है0, ख0न0 52 रकबा 0.52 है0 , ख0नं0 154 की रकबा 0.60 है0, ख0नं0 165 रकबा [illegible] है0, ख0नं0 240 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 326 रकबा 1.79 है0, ख0नं0 148 रकबा 0.31 है0 , ख0नं0 370 रकबा 0.45 है0, ख0 नं0 363 रकबा 2.32 है0, कुल 9 किता रकबा 8.56 है0 आराजी वादी के व भंवरीबाई पुत्री बजरंगा के नाम खाते दर्ज कर दी गई। नकल इन्तकाल संख्या 143 व जमाबन्दी संवत् 2070–2073 वाद पत्र के

साथ संलग्न हैं।जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित ख0 नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0 ख0नं0 328 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 301/1456 रकबा 0.42 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 आराजी त्रुटीवश वादी के खाते दर्ज नही की गई जो अभी भी खाता राज सरकार बंजड राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जबकि कब्जा काश्त आज तक वादी करता चला आ रहा है। अतः वादी माननीय न्यायालय के आदेशनुसार रिकार्ड व इन्तकाल दुरूस्त करवाकर उक्त वर्णित आराजी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय में प्रस्तुत हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अधिग्रहण की गई आराजी के अलावा शेष आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तथा बाद सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में व वर्तमान जमाबन्दी में इन्तकाल नं. 160 दिनांक 17.02.1972 के आधार पर वादी का नाम एक मात्र दर्ज है लेकिन अधिग्रहण की गई सम्पूर्ण आराजी को पुनः माननीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेशानुसार वादी के नाम एकमात्र खाते दर्ज करने का आदेश के बावजूद भी प्रतिवादी ने गफलत एवं त्रुटिवश वादी के साथ भंवरीबाई पुत्री बजरंगलाल का नाम इन्तकाल नं. 143 से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया भवंरीबाई का नाम हटवाकर वादी एक मात्र अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 संलग्न है। प्रतिवादी भूमिधारी होने राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिसको धारा वाद 80 सी०पी०सी का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति होने के कारण बिना नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही धारा वाद 80(2) सी०पी०सी के के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद प्रस्तुत किया गया हैं। वाद कारण प्रतिवादी के कर्मचारियों त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में गलत ईन्द्राज दर्ज करने एवं दुरूस्त कराने हेतु कई बार मौखिक निवेदन करने व अन्तिम बार रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 10.08.2017 को प्रेषित करने के बावजूद भी रिकार्ड दुरूस्त नही करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराज़ी एवं पक्षकारन तहसील क्षेत्र अटरू जिला बारां में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मदवार उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवलोकनार्थ एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar
Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमायी जावें किः—

(अ) ख0 नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0 ख0नं0 328 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 301/1456 रकबा 0.42 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) ख0नं0 113 रकबा 1.10 है0, ख0न0 52 रकबा 0.52 है0 , ख0नं0 154 की रकबा 0.60 है0, ख0नं0 165 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 240 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 326 रकबा 1.79 है0, ख0नं0 148 रकबा 0.31 है0 , ख0नं0 370 रकबा 0.45 है0, ख0 नं0 363 रकबा 2.32 है0, कुल 9 किता रकबा 8.56 है0 आराजी पर से भवंरीबाई का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से हटा कर एक मात्र वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि बिन्दु सं0 1 स्वीकार है कि ग्राम खुरी संवत् 2028 से 2031 जमाबन्दी ये वादी मोहन लाल एवं पुष्पा बाई बेवा बजरंगा जाति मीणा के नाम किता 18 रकबा 173 बीघा 7 बिस्वा थी। बिन्दु सं 2 स्वीकार है। कि पुष्पाबाई वादी फोती होने पर वारिस मोहनलाल पुत्र बिहारीलाल मीणा से नाम नामा0 सं 119 एवं 160 से बनी है जो संलग्न है। बिन्दु से 3 स्वीकार है कि सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि किता 13 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा अधिग्रहण की गई एवं नामान्तरण सं0 248 दिनांक 24.5.77 हो चुका है। बिन्दु सं0 4 स्वीकार है कि गत खसरा नम्बरों के नवीन खसरा नं0 किता 9 रकबा 8 है0 भूमि खाता सं0 272 पर खातेदार (वादी) के नाम से दर्ज हो चुकी है एवं खाता सं 271 किता 6 रकबा 14.63 है0 भी वादी गणों के नाम दर्ज है शेष किता 3 रकबा 1.87 है0 सिवायचक सिलिंग में दर्ज है। बिन्दु सं. 5 स्वीकार है कि ख0 नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0 खं नं0 328 की 1.12 है0 एवं 301/1456 रकबा 0.42 है0 किता 3 रकबा 1.87 है0 की वादी के दर्ज किया जावे क्योंकि भूमि सिवायचक दर्ज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 18:17:53 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु सं 6 स्वीकार है कि किता 1 रकबा 8.56 है0 वादी कि एवं भंवरीबाई के नाम दर्ज है नकल संलग्न है। बिन्दु सं. 7 स्वीकार है। बिन्दु सं. 8 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 9 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 10 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 11 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 12 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 13 न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार प्रकरण सिलिंग से संबंधित होने के कारण के ग्राम खुरी ख0नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0 328/1.12 है0 एवं 301/1456 रकबा 0.42 है0 किता 3 रकबा 1.87 है सिलिंग से अधिग्रहण होने पर सिवायचक दर्ज हुये है जो सही है खाते दर्ज नही की जा सकती है।

साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकोर्ड प्रदर्शित करवाया गया और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ख0 नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0 ख0नं0 328 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 301/1456 रकबा 0.42 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे तथा ख0नं0 113 रकबा 1.10 है0, ख0न0 52 रकबा 0.52 है0 , ख0नं0 154 की रकबा 0.60 है0, ख0नं0 165 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 240 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 326 रकबा 1.79 है0, ख0नं0 148 रकबा 0.31 है0 , ख0नं0 370 रकबा 0.45 है0, ख0 नं0 363 रकबा 2.32 है0, कुल 9 किता रकबा 8.56 है0 आराजी पर से भवंरीबाई का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से हटा कर एक मात्र वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे। अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी की खाता सं0 117 किता 18 रकबा 173 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादी एवं माता पुष्पा हिस्सा 1/2 व कान्ही बेवा बजरंगा हिस्सा 1/2 खाते दर्ज थी। नकल जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है।

उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय प्रकरण सं. 152/1976 दिनांक 03.09.1979 एवं ए.सी.एम. अटरू के निर्णय दिनांक 26.05.1988 , राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.11.1999, ए.सी.एम. अटरू के निर्णय दिनांक 17.11.2000 ग्राम खुरी की जमाबन्दी सवंत 2028–31 एवं प्रदर्श पी 1 से पी 3 का अवलोकन किया गया। [illegible] अधिकारी के निर्णय दिनांक 03.09.1979 से स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.1966 को सम्पूर्ण [illegible] बीघा 7 बिस्वा भूमि मोहन लाल पुत्र बिहारी लाल हिस्सा 1/2 एवं मुस0 कानीबाई बेवा बजरंगा [illegible] 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड थी लेकिन ग्राम पंचायत खुरी ने दिनांक 17.02.1972 नामान्तरण सं. 160 द्वारा गलत व विधी विरूद्ध रूप से सम्पूर्ण भूमि मोहनलाल पुत्र बिहारी लाल के दर्ज कर दी जबकि मुस0 कानी बाई की पुत्री भवरी बाई भी बराबर की हिस्से दार थी। गलत नामान्तरण के कारण सम्पूर्ण भूमि 173 बीघा 7 बिस्वा अकेले मोहनलाल के नाम दर्ज होने से सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत 66 बीधा 12 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण कर दिनांक 24.05.1977 को सिवायचक दर्ज रिकोर्ड की गई। जबकि 1.1.1973 को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में मोहनलाल के साथ भंवरी बाई पुत्री मुस0 कानीबाई बराबर की हिस्सेदार थी। उपखण्ड अधिकारी छबडा ने 3.9.1974 द्वारा सिलिंग एक्ट की दिनांक 24.5.1977 की कार्यवाही को ड्रोप कर भूमि को पुनः अप्रार्थी वादी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया । उक्त आदेश की तहसीलदार द्वारा पालना नही करने के कारण वादी नें पुनः ए सी एम कार्ट अटरू में वाद दायर किया । जिसमें न्यायालय एसीएम कोर्ट अटरू नें निर्णय दिनांक 26.05.1998 से तहसीलदार अटरू कों उक्त 66 बीघा 12 बिस्वा भूमि को प्रार्थी / वादी के नाम दर्ज रिकोर्ड करने का आदेश किया। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण सं. 143 द्वारा वादी व भवंरी बाई पुत्री मुस0 कानी बाई का नाम दर्ज किया गया । जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 संलग्न है। इस प्रकार नामान्तरण सं. 143 खोलते समय ख0 नं0 321 /1453 , 328 , व 301/1456 भी वादी व भंवरी बाई के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिए था। भवरी बाई भी उपखण्ड अधिकारी छबडा व ए.सी.एम. अटरू के निर्णय अनुसार हकदार है। अतः ग्राम खुरी के ख.नं0 321 /1453 , 328 , व 301/1456 पर वादी व भंवरी बाई पुत्री बजरंगा को खातेदा कृषक घोषित किया जावे। पुनः प्रदर्श पी 1 से पी 3 उपखण्ड अधिकारी छबडा व ए.सी.एम. अटरू के उक्त निर्णयों से स्पष्ट हें कि उक्त भूमि पर मोहनलाल पुत्र बिहारी लाल के साथ साथ भवंरी बाई पुत्री मुस0 कानीबाई /बजरंगा बराबर की हिस्सेदार है। अतः भवंरी बाई पुत्री बजरंगा का नाम राजस्व रिकार्ड से नही हटया जा सकता। भवंरी बाई का नाम कुल किता 13 रकबा 10.43 है0 में यथावत रखा जाना उचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खुरी के ख0नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 328 रकबा 1.12 है0, एवं 301/1456 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 रकबा 1.87 है0 पर वादी मोहनलाल पुत्र बिहारीलाल एवं भंवरी बाई पुत्री बजरंगा को 1/2 –1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 141/2017

उनवान

1. मोहनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति मीना निवासी खुरी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खुरी के ख0नं0 321/1453 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 328 रकबा 1.12 है0, एवं 301/1456 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 रकबा 1.87 है0 पर वादी मोहनलाल पुत्र बिहारीलाल एवं भंवरी बाई पुत्री बजरंगा को 1/2 –1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)